



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-06072026-274189
CG-KA-E-06072026-274189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3457]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948

No. 3457]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 2 जुलाई, 2026

का.आ. 3592(अ).— जबकि केंद्र सरकार (रेलवे मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) की अधिसूचना एस.ओ. 1720 (ई) दिनांक 02 अप्रैल 2026 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई, रेल अधिनियम, 1989 (1989 के 24) (जिसे यहाँ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2, खंड 20ए के अंतर्गत जारी की गई है, रेलवे मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को "कर्नाटक राज्य के हासन जिले में अरसिकेरे-हब्बनघट्टा में चेनज 162/700-800 (हब्बनघट्टा कवल ग्राम) में समपार संख्या 131 के स्थान पर आरओबी के निर्माण" के लिए अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया है।

और, उक्त अधिसूचना का सार "विजयवाणी", "विजयकर्नाटक", "द हिंदू" और "डेक्कन हेराल्ड" में दिनांक 18 अप्रैल 2026 को तथा "जनमित्र" में दिनांक 18 अप्रैल 2026 को रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ए के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने धारा 2, खंड 20डी के अंतर्गत दर्ज आपत्तियों को प्राप्त किया है, उन पर विचार किया है और उनका उचित निपटारा किया गया है।

और जबकि, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को उपरोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए;

इसके अलावा, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषित करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के हासन जिले में किलोमीटर 162/700 से किलोमीटर 162/800 तक के भूभाग में स्थित, संरचनाओं सहित या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : कर्नाटक			जिला: हासन		
तालुक: अरसीकेरे			गांव: हब्बनघट्टा कावल		
एस. एन.	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि स्वामी/हितधारक व्यक्ति का नाम
01	252	निजी	कुश्की	0.354	श्री कस्तूरबा ट्रस्ट परवागी प्रतिनिधि

[फा.सं - डब्ल्यू.271/नि/बें छा/2026-27/भूमि वि रे प/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 2nd July, 2026

S.O. 3592(E).— Whereas, by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) S.O. 1720 (E) dated 02nd April 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for "Construction of ROB in lieu of LC No. 131 at Arsikere Habbanghatta at Chainage 162/700-800 (Habbanghatta Kaval Village)" in the district of Hassan In the state of Karnataka.

And where as the substance of the said notification has been published in "Vijayavani", "Vijayakarnataka" "The Hindu" & "Deccan Herald" dated 18th April 2026 and in "Janamitra" dated 18th April 2026; under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment.

Now, therefore, up on receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway,

Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure falling in the stretch of land from Km: 162/700 to Km: 162/800 in the district of Hassan in the state of Karnataka.

State: Karnataka			District: Hassan		
Taluk: Arsikere			Village: Habbanaghatta Kaval		
S.N.	Survey/Plot No	Type of land	Nature of land	Area (in Hectares)	Name of the land owner/interested person
01	252	Private	Kushki	0.354	Shri Kasturba Trust Paravagi Pratinidhi

[F.No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction